

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक .....B/1034/

जबलपुर, दिनांक 12/02/19

श्री मनोज सिंह, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को चिकित्सीय दस्तावेज के आधार पर दिनांक 14.11.18 से 16.11.18 तक 3 दिन एवं दिनांक 26.11.18 से 01.01.19 तक 37 दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 02.01.19 से 11.01.19 तक 10 दिन का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाकर उनके हक में अवकाश शेष न बचने के कारण दिनांक 12.01.19 से 17.01.19 तक 6 दिन का अवैतनिक किया जाता है एवं रजिस्ट्री आदेश क्रमांक बी/500 दिनांक 25.01.19 के द्वारा रोके गये वेतन का भुगतान किया जाता है।

सही/-


(सतीश चन्द्र राय)  
रजिस्ट्रार (प्रशासन)

पृष्ठांकन क्रमांक.....B/1035/

जबलपुर, दिनांक 12/02/19

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु
2. असि. रजिस्ट्रार (स्था.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
3. अनु. अधिकारी लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. सहायक अवकाश/वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. श्री मनोज सिंह, भृत्य, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(अजय पवार)

ज्वाइंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल)